संख्या– 1193 बी / क0नि0–6–2017–1(बी) / 2017

शीर्ष प्राथमिकता

प्रेषक,

राजीव कुमार
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग–6 लखनऊः दिनांक04 सितम्बर, 2017

विषय : लघु एवं सीमान्त किसानों हेतु फसल ऋण मोचन योजनान्तर्गत द्वितीय चरण में की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि आपके कुशल मार्गदर्शन में "फसल ऋण मोचन योजना" का प्रथम चरण लगभग पूर्ण हो चुका है जिसके अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति की संस्तुति के पश्चात् 11.93 लाख आधार–लिंक्ड कृषकों के खातों में देय धनराशि का अन्तरण किया जा चुका है।

योजना के भली–भांति कियान्वयन हेतु कृषि विभाग / संस्थागत वित्त विभाग द्वारा सतत् रूप से जनपदों में की जा रही कार्यवाही का अनुश्रवण किया जा रहा है तथापि योजनान्तर्गत पात्र कृषकों को समयबद्ध रूप से लाभान्वित किया जा सके, इस हेतु प्रथम चरण के उपरान्त जनपद में अवशेष रह गये कृषकों कें विषयगत सत्यापन, अर्हता सूची बनाये जाने की कार्यवाही के संबंध में आपके स्तर से व्यक्तिगत रूप से अनुश्रवण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

उपरोक्त विषयगत आप अपने कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में यह सुनिश्चित कराये कि समस्त अवशेष डाटा के सत्यापन एवं सत्यापनोंपरान्त पात्र कृषकों की अर्हता सूची बनाये जाने की कार्यवाही यशाशीघ्र पूर्ण कर ली जाये। उक्त के दृष्टिगत आपके अधीनस्थ जनपदों में की जा रही कार्यवाही की प्रगति संबंधी सूचना, संलग्न प्रारूप पर दिनांक 09.09.2017 तक की गयी प्रगति के विषयगत, एकत्रित कर दिनांक 10 सितम्बर, 2017 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आहूत बैठक में आप अपने मण्डल से संबंधित अद्यतन सूचना सहित प्रतिभाग करें।

संलग्नक–प्रारूप।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
मुख्य सचिव।

प्रारूप–1

जनपद का नाम	बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया गया कुल डाटा	प्रथम चरण में संस्तुत डाटा	प्रथम चरण में संस्तुत डाटा के बाद कुल अवशेष डाटा (2–3)	कालम–4 में अवशेष डाटा में कुल कितने डाटा का सत्यापन पूर्ण कर कृषकों से स्वप्रमाण पत्र पर सूचना प्राप्त कर ली गयी है।	कालम–4 में उपलब्ध डाटा में से कुल कितने कृषकों के खाते आधार लिंक कराये जा चुके हैं।
1	2	3	4	5	6